न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर।

बइजलास : कुन्तल विश्नोई (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 05/2016 निर्णय दिनांकः– 22-1-2018

छोटी देवी बनाम सीताराम व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

प्रतिवादी संख्या 14 व 15 1 की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि वादिया ग्राम श्यामवाटिका, मोठूकाबास तहसील आमेर में निवास कर रही है जिसके द्वारा वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को विवादित भूमि अंकित कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादिया द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए वाद प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है। वादिया ने उक्त विवादित भूमि का हकत्याग अपनी बहने प्रतिवादी संख्या 5 व 8 क्रमशः कमला देवी व कृष्णा के साथ जरिये पंजीकृत त्याग पत्र दिनांक 08.04.2013 को उपपंजीयक द्वितीय समक्ष उपस्थिति होकर किया है। दावा दायरी से पूर्व वादिया द्वारा किया गया पंजीकृत हकत्याग पत्र के कथनों को छिपाते हुए क्लीन हैण्ड के बिना वादपत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त उनवानी वादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट है कि वादिया ने न्यायालय के साथ फ्रोड करते हुए वास्तविक दस्तावेज को छिपाते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण वाद वादिया सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादिया द्वारा किया पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 08.04.2013 के प्रभावी रहते हए वादिया का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा मेंटनेबल नहीं है बल्कि बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वादिया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है इसलिये बेदखली के अनुतोष के अभाव में वाद वादिया घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती मेंटनेबल नहीं है बल्कि सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। जिन्होंने मुख्य रूप से उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न त्याग पत्र से स्पष्ट है कि वादिया छोटी देवी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 8 क्रमशः कमलादेवी व कृष्णा देवी ने विवादग्रस्त भूमि में निहित अपने हक व अधिकार जरिये पंजीकृत त्याग पत्र दिनांक 08.04.2013 को बहक प्रतिवादी संख्या 2 रामचन्द्र पुत्र बंशी के हक में त्याग कर दिया। उक्त पजीकृत त्याग पत्र दिनांक 08.04.2013 से वादिया के वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं हे और ना ही वादिया उक्त पंजीकृत त्याग पत्र के प्रभावी रहते हुए न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण निरस्तनीय है। अतः वाद वादिया खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु0 जयपुर